

दिनांक— 17.03.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति— यथा पंजी संघारित।

दिनांक— 17.03.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम निदेशित किया गया कि प्रत्येक समीक्षात्मक बैठक में आगामी सप्ताह में किए जाने वाले कार्यों ओर लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए और लक्ष्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर समीक्षोपरान्त आवश्यक निर्णय लिए जाए एवं आवश्यक निदेश दिए गए।

(i) Spatial Mutation :- बैठक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय द्वारा Spatial and Textual Integration के लिए वर्तमान के दाखिल-खारिज अधिनियम एवं नियमावली में संशोधन के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव पर विमर्श किया गया।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि Spatial and Textual Integration में Spatial Mutation के लिए वर्तमान के दाखिल-खारिज अधिनियम एवं अन्य आवश्यक अधिनियमों में किन-किन बिन्दुओं पर सुधार की कार्रवाई अपेक्षित है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाए।

अनुपालन:- संयुक्त निदेशक, चकबन्दी निदेशालय

(ii) RSTI, गया के सम्बन्ध में :- प्रतिवेदित किया गया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा मई, 2021 तक राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, गया का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, गया के माह-अप्रैल से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए एवं इसके लिए आगामी समीक्षात्मक बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया जाए:-

- (क) RSTI, गया में पूर्व से बने हुए भवनों/कमरों की स्थिति
- (ख) प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए आवश्यक उपस्करों यथा-कुर्सी, टेबुल, प्रोजेक्टर इत्यादि के उपलब्धता की स्थिति एवं आवश्यकता।
- (ग) प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए कर्मियों एवं पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
- (घ) प्रशिक्षकों का चयन एवं पाठ्यक्रम
- (ङ) प्रशिक्षणार्थियों के चयन सम्बन्धी प्रस्ताव

अनुपालन:-श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(iii) नवनियोजित संविदा अमीनों का प्रशिक्षण :- प्रतिवेदित किया गया कि नवनियोजित संविदा अमीनों को दिनांक— 09.03.2021 से प्रारंभ किया गया है, जो दिनांक— 09.04.2021 तक चलेगा। बैठक में दिनांक— 09.03.2021 को ज्ञान भवन, पटना में संविदा अमीनों की Induction Training के क्रम में हुई जाँच परीक्षा का परिणाम भी उपस्थापित किया गया।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि दिनांक- 09.03.2021 को हुई जाँच परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक कुल प्राप्तांक 50 में 20 अंक से कम है, उनकी पुनः जाँच परीक्षा दिनांक- 26.03.2021 को लिया जाए एवं परिणाम के आधार पर उनसे नियोजन सेवा-शर्तों के आलोक में कार्रवाई की जाए। साथ ही इन अभ्यर्थियों की कक्षा में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के आधार पर भी 26.03.2021 के पूर्व जाँच परीक्षा ली जाए।

अनुपालन:- विशेष सर्वेक्षण प्रशिक्षण कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय

(iv) भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय में पदस्थापित कर्मियों का कार्य विभाजन:- बैठक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय में पदस्थापित कर्मियों को आवंटित कार्य के संबंध में बनाये गये प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं निदेश दिया गया कि कर्मिवार कार्यों का आवंटन दर्शाते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाए।

अनुपालन:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय

(v) जिला स्तरीय C.V.M.S एवं C.I.M.S का प्रतिवेदन :- बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि C.V.M.S एवं C.I.M.S का यूजर मैनुअल तैयार कर सभी जिला बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

निदेश दिया गया कि आगामी बैठक में C.I.M.S का प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाय एवं मार्च-माह का C.V.M.S का जिलावार प्रतिवेदन अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में उपस्थापित किया जाय।

अनुपालन:- प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय

(vi) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) का POP (Percentile Performance Objective Parameters) का निर्धारण:- विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उनके POP का निर्धारण किया जाय एवं समीक्षात्मक बैठकों में मासिक आधार पर उनके POP प्राप्तांक के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए।

अनुपालन:- प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण

(vii) E.T.S का क्रय:- प्रतिवेदित किया गया कि 40 E.T.S क्रय करने के संबंध में प्राप्त दो टेंडरों को अंतिम रूप देने के लिए 15.03.2021 को बैठक की गई है एवं अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि E.T.S क्रय करने की कार्रवाई को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाय। साथ ही प्रस्तावित 1767 अमीनों के नियोजन को देखते हुए प्रत्येक अंचल के लिए 04 E.T.S क्रय करने का प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र उपस्थापित किया जाय।

अनुपालन:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय

(viii) विशेष सर्वेक्षण जन-जागरूकता :- प्रतिवेदित किया गया कि जन-जागरूकता संबंधी विशेष श्रृंखला का पुर्नप्रकाशन दिनांक- 18.03.2021 से प्रकाशित होना प्रारंभ होगा एवं आगामी सप्ताह में कुल 06 विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे। मार्च- 2021 में इस श्रृंखला अंतर्गत कुल 12 विज्ञापन प्रकाशित किये जाने हैं। इनके अतिरिक्त विभाग एवं निदेशालय के विभिन्न विषयों से संबंधित अलग-अलग समाचार भी लगातार अखबारों में प्रकाशित किया जाना है।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक समीक्षात्मक बैठक में आगामी सप्ताह में प्रकाशित होनेवाले विज्ञापनों एवं न्यूज फॉर्मेट में जाने वाले प्रेस रिलीज को स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया जाय एवं पुर्नप्रकाशित होनेवाले विज्ञापनों को और अधिक आकर्षक एवं तथ्यपरक बनाया जाय।

अनुपालन:- नोडल पदाधिकारी-सह-सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी,
श्री राजेश कुमार सिंह

(ix) मानचित्रों की बिक्री :- बैठक में उपस्थित समस्तीपुर, कटिहार एवं बिहारशरीफ के अंचल अधिकारियों से उनके अंचल में मानचित्रों की कम बिक्री के संबंध में पृच्छा की गई। अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि मानचित्रों के बिक्री के संबंध में अंचल स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय एवं प्रतिदिन कम-से-कम 25 मानचित्रों की बिक्री सुनिश्चित की जाय।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी नगर-निकायों से संबंधित अंचलों से होनेवाले मानचित्रों की बिक्री का सतत् अनुश्रवण किया जाय एवं मार्च माह, 2021 में इनके प्रदर्शन के आधार पर प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाय।

अनुपालन:- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना

(x) मानचित्रों की Door Step Delivery :- बैठक में उपस्थित उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि Door Step Delivery से संबंधित सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। किन्तु Door Step Delivery की प्रक्रिया में मानचित्रों को जिस बॉक्स में आपूर्ति की जानी है, उसके संबंध में कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। नये सिरे से आपूर्तिकर्ता का चयन कर समाधान किया जा रहा है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि मानचित्रों के Door Step Delivery कार्य को किसी भी परिस्थिति में 15 अप्रैल, 2021 तक प्रारंभ कर दिया जाय एवं इसके पूर्व इससे संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन कर लिया जाय।

अनुपालन:- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना

(xi) सरकारी भूमि का संरक्षण :- प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले सरकारी भूमि की विवरणी के प्रगति प्रतिवेदन से मुख्य सचिव, बिहार को अवगत कराते हुए विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की बैठक एवं समाहर्ताओं की मासिक बैठक में निदेश देने का अनुरोध किया गया था, जिसे मुख्य सचिव, बिहार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव, बिहार को V.C के माध्यम से विभा के साथ समीक्षा करने का अनुरोध किया जाय।

अनुपालन:- विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय

(xii) विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत किए जाने वाले मोन्यूमेंटेशन संबंधी कार्रवाई का अनुश्रवण :- प्रतिवेदित किया गया कि बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा, पश्चिमी चम्पारण एवं सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बनाये गये प्राक्कलन में यह पीलर निर्माण एवं पीलर संबंधी निर्माण सामग्री के परिवहन पर होनेवाले जिला अनुसार व्यय को शामिल किया गया है, जबकि पीलर को अधिष्ठापित करने एवं निर्माण पश्चात् संबंधित स्थान पर ले जाने वाले परिवहन व्यय को शामिल नहीं किया गया है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि जिला बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा पीलरों के निर्माण करने के लिए चयनित किये जाने वाले एजेंसियों के साथ पीलरों को संबंधित स्थानों पर पहुँचाने के साथ का अनुबंध किया जाय। पीलरों के अधिष्ठापन संबंधी कार्रवाई का राज्य स्तरीय अनुश्रवण किया जाय एवं इसके लिए अलग MIS तैयार किया जाय।

अनुपालन:- विशेष सर्वेक्षण शाखा एवं आई0टी0 सेल प्रभारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय

(xiii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा :- प्रतिवेदित किया गया कि निदेशालय स्तर से आई0आई0सी0 एजेंसी को प्रेषित नोटिस के आलोक में एजेंसी द्वारा दिनांक-25.03.2021 तक की समय-सीमा मांगी गई है।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को इस आशय का नोटिस निर्गत किया जाय कि उनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य बाधित किये जाने के कारण विभिन्न जिलों जन-आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। एजेंसी के विरुद्ध अनुबंध के अनुसार काम नहीं करने के लिए Civil & Criminal Liability का आरोप विधिसम्मत गठित किया जाय।

अनुपालन:- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय

(xiv) DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए जाने वाले प्रस्ताव :- प्रतिवेदित किया गया कि भारत सरकार को 16 अवयवों से संबंधित 31564.54 लाख का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण संबंधी योजना स्वीकृत कर 2.6474 लाख राशि प्राप्त हुई है, जबकि जी0आई0एस0 लैब का प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में है। शेष 14 प्रस्तावों के संबंध में भारत सरकार के स्तर पर बैठक की जानी है। दिसंबर, 2020 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर समर्पित किया गया है।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से समर्पित किये जाने वाले लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र समर्पित कर दिया जाय।

अनुपालन:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय

(xv) डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार (MRR) का क्रियान्वयन :- प्रतिवेदित किया गया कि डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार के क्रियान्वयन के लिए निदेशालय के पत्रांक- 1657 दिनांक- 24.03.2020 द्वारा 163 एवं पत्रांक- 1064 दिनांक- 25.02.2021 द्वारा 104, कुल- 267 अंचलों के लिए प्रति अंचल 16.10 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि जिलों को उपलब्ध कराये गये आवंटन के आलोक में किये जाने वाले कार्यों को सतत अनुश्रवण किया जाय एवं इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया जाय कि डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार में कौन-कौन से अभिलेखों/कागजातों इत्यादि को रखा जाना है एवं इसके द्वारा कौन-कौन से कार्य किये जाने है।

अनुपालन:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय

(xvi) GIS Consultant के संबंध में:- विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि वर्तमान समय में विशेष सर्वेक्षण कार्य में भू-स्थानिक प्रणाली (जी0आई0एस0) अंतर्गत संकलित किए जाने वाले आंकड़ों के संधारण विश्लेषण एवं संरक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से एक अलग सुयोग्य GIS Consultant की आवश्यकता है।

संयुक्त निदेशक, चकबंदी एवं जी0आई0एस0 सलाहकार द्वारा नेट से आर0एफ0पी0 संकलित कर आगामी समीक्षात्मक बैठक के पूर्व उपस्थापित किया जाए।

अनुपालन:- संयुक्त निदेशक, चकबंदी निदेशालय एवं जी0आई0एस0 सलाहकार

(xvii) भू-स्वामित्व संबंधी प्रस्ताव :- भू-स्वामित्व प्रस्ताव संबंधी संचिका मुख्य मंत्री कार्यालय से विमर्श हेतु संचिका वापस की गई है। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि आवश्यक विमर्श की तिथि एवं समय निर्धारण हेतु संचिका उपस्थापित की जाए।

अनुपालन:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय

(xviii) विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में जी0आई0एस0 लेयर का संधारण :- बैठक में उपस्थित जी0आई0एस0 सलाहकार द्वारा भू-नक्शा सॉफ्टवेयर में संधारित किए गए जी0आई0एस0 संबंधी प्रविष्टियों का एम0आई0एस0 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन प्रदर्शित किया गया।

निर्देशित किया गया कि जी0आई0एस0 संबंधी प्रविष्टियों का सतत अनुश्रवण किया जाए एवं इसके लिए सभी आवश्यक सूची को सभी संबंधित को उपलब्ध करा दिया जाए।

अनुपालन:- जी0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय

(xix) Scanning and Digitization :- बैठक में उपस्थित संयुक्त निदेशक, चकबंदी को निदेशित किया गया कि राजस्व अभिलेखों/दस्तावेजों के Scanning and Digitization के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए State Archives में रखे जाने वाले दस्तावेजों का चिन्हित किया जाए।

अनुपालन:- संयुक्त निदेशक, चकबंदी निदेशालय।

(xx) भू-नक्शा सॉफ्टवेयर में संकेत चिन्हों का प्रदर्शन :- प्रतिवेदित किया गया कि खेसरा मानचित्र और एल0पी0एम0 में संकेत चिन्हों के प्रदर्शन के लिए एन0आई0सी0, दिल्ली द्वारा सभी संकेत चिन्हों की मांग .svg फॉर्मेट में की गई। .svg फॉर्मेट में संकेत चिन्हों को तैयार करने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा दो से तीन कार्यबल की मांग की गई है। सम्प्रति यह कार्य जी0आई0एस0 सलाहकार द्वारा अपने निर्देशन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराया जा रहा है। कुल 174 संकेत चिन्हों में लगभग 150 संकेत चिन्हों को .svg फॉर्मेट में तैयार कर लिया गया है। शेष को इस सप्ताह में पूर्ण कर एन0आई0सी0 को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र इस कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि सभी संकेत चिन्हों को .svg फॉर्मेट की सहायकता से खेसरा मानचित्र एवं एल0पी0एम0 में प्रदर्शित किया जा सके।

अनुपालन:- जी0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

(xxi) विशेष सर्वेक्षण कार्यों का एम0आई0एस0 :- बैठक में उपस्थापित जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन से संबंधित एम0आई0एस0 की समीक्षा की गई। प्रतिवेदित किया गया कि जो जिले हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 को आवंटित हैं उनमें एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किए जाने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है।

सर्वे सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य को प्रक्रमवार समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए एवं कार्यों का सतत अनुश्रवण किया जाए।

अनुपालन:- आई0टी0 सेल एवं तकनीकी शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

(विवेक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019.....1359..... पटना, दिनांक :- 06/04/2021

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप/उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/सभी निदेशालय स्तरीय जिलों के नोडल पदाधिकारी/श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय/श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार/श्री विजय सम्राज्य, सहायक बी0पी0एम0यू0, भू-अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019.....1359..... पटना, दिनांक :-06-04-2021
प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019.....1359..... पटना, दिनांक :-06-04-2021
प्रतिलिपि:- सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019.....1359..... पटना, दिनांक :-06-04-2021
प्रतिलिपि:- सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019.....1359..... पटना, दिनांक :-06-04-2021
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण